

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक क्लर्क मुकाम (SPO) बायत

..... शिवराम बनाम आलराम कोय

किस्म मुकदमा राजस्व नं. 09/2021 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
05/01/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>महावीर शीमर</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 120</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>15/02/2021</u> को पेश हो। <u>शिवराम</u>	
15/02/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्लवा हाकर दिनांक <u>30/03/2021</u> <u>डी पेश डी/र</u>	
30/03/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्लवा हाकर दिनांक <u>05/07/2021</u> <u>डी पेश डी/र</u>	
05/07/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्लवा हाकर दिनांक <u>08/10/2021</u> <u>डी पेश डी/र</u>	

सहायक क्लर्क
(SPO) बायत

08/10/2021

प्राथी वहील उपोत्पत्त। विप्राधीगोणे कु
नोविस र्वरु के जरीमे रजिस्ट्रड एंडी मिजकणे
गणे रजिनेही डिलेक्ट रियेरे प्रप्ल नही इई
के सीमातु पीठालीन कवि डरी उवागत जाणे कु
संग मसिमान 2021 रेपये के वलम गेने के
मिवाल इल्लव डोडर कागाती दिनांड 17/02/2022
को फेरा हो।

सहायक कलक्टर

28/04/2022

17/02/2022

प्राथी वहील उपोत्पत्त। वि प्राथी वहील
दारा विप्राधीगोणे ड) तलवना मम रजिस्ट्री
यवर्चा फेरा विमा गमा जिमे शामिल पमावली
विमा गमा। विप्राधीगोणे कु नोविस रजिस्ट्रड
एडी मिजकणे जाडर पमावली दिनांड 28/03/2022
को फेरा हो।

सहायक कलक्टर

(SDO) वायतु

28/03/2022

प्राथी वहील उपोत्पत्त। प्राथी वहील
दारा विप्राधीगोणे ही डिलेक्ट रालिडे फेरा ही
गई जिमे शामिल पमावली विमा गमा। विप्राधी-
गोण वाकजुड ~~मिजकणे~~ मनु उपोत्पत्त। लघामाल्य लमम
लीन वार निवज लगाई गई, टैन्लम निवज
5.45 pm पर लगाई गई विप्राधीगोण स्वके मा
उनही फोर ले डेई कविपत्त उपोत्पत्त नही
इका लिवाजा विप्राधीगोणे कु विरुठ एडलरमा
कार्यकारी प्रमल में लाई जाली हो कत; वास्ते
वडल पमावली दिनांड 28/04/2022 को फेरा हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) वायतु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

28/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बाकजुव तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/ 511

दिनांक : 28/04/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अजबाराम पुत्र पोकरराम,
जाति मेगवाल, निवासी पुराना गांव,
पटवार मण्डल बायतु पनजी,
तहसील बायतु (बाडमेर)


1. आत्माराम पुत्र पोकरराम वगैरा 16,
जाति मेगवाल, निवासी रूगोणी मेगवालों की
ढाणी, पटवार मण्डल बायतु भीमजी,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 09/2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - रूगोणी मेगवालों की ढाणी, पटवार मण्डल - बायतु भीमजी, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 867/733 रकबा 8.1952 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)
(SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 28/04/2022

क्रमांक : वाद/2022/ 512-516

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु भीमजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अजबाराम पुत्र पोकरराम,
4. विप्रार्थी श्री आत्माराम पुत्र पोकरराम वगैरा 16,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु